बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्र संख्या–06 / निबंधन–23 / 2016 परि0................... /

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।

पटना, दिनांक ....

विषयः– M/s-Mahindra Two Wheeler Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s-Mahindra Two Wheeler Ltd. के द्वारा समर्पित उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी से प्राप्त Type Approval Cetifiacate की छायाप्रति एवं अन्य कागजातों के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों एवं इसके वैरियन्ट का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

Sl. No.	Base Model T.A. Certificate/Date	Variant	Types of Vehicle	Ex-showroom Price
1	**MAHINDRA CENTURO** AAMN 0109/10.03.2017	1. Mahindra Centuro XT 2. Mahindra Centuro Rockstar 3. Mahindra Centuro Disc Brake 4. Mahindra Centuro NXT 5. Mahindra Centuro Mirzya	KG –L2 (BSIV)	Rs. 47,640/ से 53,440/- तक
2	**MAHINDRA MOJO** AAMN 0038/03.02.2017	NIL	KG –L2 (BSIV)	Rs. 1,77,790/-
3	**MAHINDRA GUSTO** AAMN 0081/24.02.2017	NIL	Two Wheeler (AE) –L2 (BSIV)	Rs. 50,520/ से 57,520/- तक

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली–1989 के नियम–126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र–22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम–93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा ।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन / जाँच प्रतिवेदन / मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन अधोहस्ताक्षरी का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जबावदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम–1994 की धारा–6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगें तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगें।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा–6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों / वैरियन्ट के संबंध में COI छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

ह0 / –

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

F:\6\Registration Format Docx. 581

ज्ञापांक : ....

पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः—Authorised Signatory: For M/s- Mahindra Two Wheeler Ltd. Alankar Business Centre, 4th Floor East, Boring Canal Road, Patna-800001, को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2604

पटना, दिनांक : 16/5/17

प्रतिलिपि State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software के Master Box में प्रविष्टि करने हेतु/I.T. Manager, [illegible]

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।